Government of Haryana

Annual Administrative Report

of

The Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana

for

The year 2015-2016

Review of the Annual Administrative Report of the Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana for the year 2015-16.

During the year 2015–16, a sum of Rs. 65896.00 lacs was allocated under State Plan (Rs. 13139.50 lacs), centrally sponsored Plan (Rs. 35514.10 lacs), Special Central Assistance (Rs. 2115.00 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 15127.40 lacs) for the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department. During this period, against the above allocation, Rs. 33534.49 lacs were utilised under different schemes of State Plan (Rs. 11505.77 lacs), Centrally Sponsored Plan (Rs. 7363.22 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 14665.50 lacs).

2. A summary of State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes is as under:-

A. STATE PLAN SCHEMES

i. An amount of Rs. 610.10 lacs was provided as financial assistance for constructions/repair of houses to 1249 beneficiaries under the "Dr. B. R. Ambedkar Aawas Yojna".

ii. An amount of Rs. 47.10 lacs was provided as financial assistance to 95 beneficiaries belonging to Tapriwas and Vimukt Jatis for construction of houses under the "Dr. B. R. Ambedkar Aawas Yojna".

iii. During this year, an amount of Rs. 124.00 lacs was provided as share capital to Haryana Backward Classes and Economically Weaker Sections Kalyan Nigam and an amount Rs. 350.00 lacs was provided as administrative subsidy to bear administrative expenses.

iv. An amount of Rs. 56.24 lacs was utilised for providing training to 1823 Scheduled Caste/ Backward Classes trainees under the Scheme "Tailoring Training to Scheduled Castes/Backward Classes Widows / Destitute Women/ Girls ".

v. Under the Scheme of "Mukhya Mantri Viwah Shagun Yojna", an amount of Rs. 6717.08 lacs was disbursed to 26784 beneficiaries during the year 2015-16.

vi. An amount of Rs. 100.00 lacs was provided as share capital to "Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation" and an amount Rs. 675.00 lacs was given as subsidy to bear administrative expenses during the year 2015-16.

vii. An amount of Rs. 2408.18 lacs was disbursed to 25025 Students (12157 Scheduled Castes and 12868 Backward Classes) under "Dr. Ambedkar Medhavi Chhattra Yojna" during the year 2015-16.

viii. Under the Scheme of Information Technology, an amount of Rs. 5.74 lacs was utilised during the year 2015-16.

ix. An amount of Rs. 36.70 lacs was utilised for providing training to 193 youths under the Scheme of Up-gradation of the Typing and Data Entry Skills of the SC/BC Unemployed youth through Computer' dring the year 2015-16.

x. An amount of Rs. 0.68 lacs was disbursed to 7 SC girl students under the "Scheme of Anusuchit Jati Chhatra Ucch Shiksha Protsahan Yojna" during the year 2015-16.

xi. An amount of Rs. 4.00 lacs was given to 2 SC/BC institutions/societies during the year 2015-16.

xii. An amount of Rs. 8.83 lacs was utilised under the Reaserch and Study during the year 2015-16.

xiii. Under the Scheme Creation of employment genertion opportunnities by setting up employment oriented institutes an amount of Rs. 100.00 lacs was spent during the year 2015-16.

B. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

i. An amount of Rs. 17631.22 lacs (Rs. 11323.56 lacs Non-Plan and Rs. 6307.66 lacs Central Share) was disbursed to 74222 Scheduled Caste Students under the Centrally Sponsored Schemes of "Post-Matric Scholarship for Scheduled Castes students" during the year 2015-16.

ii. An amount of Rs. 1177.95 lacs (Rs. 583.59 lacs Non-Plan and Rs. 594.36 lacs Central Share) was disbursed to 49935 Scheduled Caste Students under the Centrally Sponsored Schemes of "Post-Matric Scholarship for Backward Clasess students" during the year 2015-16.

iii. An amount of Rs. 200.00 lac was spent under "Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana" during the year 2015-16.

iv. An amount of Rs. 7.25 lac was spent on 29 students under "Upgradation of merit of Scheduled Caste/Scheduled Tribes students" scheme during the year 2015-16.

v. Schemes under Machinery for the Implementation of P.C.R. Act, 1955 and Scheduled Caste and the Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989: -

a) **Legal Assistance**:-An amount of Rs. 2.42 lacs (Rs. 1.21 lacs Plan & 1.21 lacs Central Assistance) was disbursed to 44 persons under the "Legal Aid Scheme", during the year 2015-16.

b) **Incentive for Inter-Caste Marriage**:-Under this scheme, an amount of Rs. 179.50 lacs (Rs. 89.75 lacs State Plan and Rs. 89.75 lacs Central assistance) was disbursed to 359 newly wedded couples as incentive.

c) **Award to Panchayats, Publicity of Schemes and Debates & Seminars for Removal of Untouchability**:-Under this scheme, an amount of Rs. 45.62 lacs (Rs. 22.81 lacs on State Plan side and Rs. 22.81 lacs from Central assistance) was utilised during this year. Out of this, an amount of Rs. 31.00 lacs (Rs. 15.50 lacs State Plan and Rs. 15.50 lacs Central assistance) was given to 62 Panchayats for their outstanding work and Rs. 8.62 lacs (Rs. 4.31 lacs on State Plan and Rs. 4.31 lacs from Central assistance) was spent on publicity of schemes and Rs. 6.00 lacs (Rs. 3.00 lacs from State Plan and Rs. 3.00 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent on 60 Debates and Seminars.

d) **Monetary relief to the victims of atrocities under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act 1989**:-An amount of Rs. 280.36 lacs (Rs. 140.18 lacs State Plan and Rs. 140.18 lacs from Central assistance) was paid to 379 persons under this Scheme.

C. SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE SCHEME (100% Centrally Sponsored Scheme)

During the year 2015-16, no fund has been recived from Govt. of India under the Special Central Assistance Scheme, but unspent amount of previous years is utilized. A sum of Rs. 491.23 lacs is utilized by Haryana Scheduled Caste Finance and Development Corporation for the economic development of Scheduled Castes under various income generating schemes, an amount of Rs. 21.72 lacs is utilized by the Industrial Training Department for organizing special training for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and upgradation of I.T.I.s and an amount of Rs. 120.00 lacs which was provided is utilized by Central Institute of Plastic Engineering and Technology, Murthal for various training programme.

D. SCHEDULED CASTES SUB PLAN (SCSP)

According to guidelines of the Government of India, Planning Commission, only those schemes are covered under SCSP, which ensure direct benefit to Scheduled Castes and priority should be given for providing basic minimum services like primary education, health, drinking water, nutrition, rural housing, rural link roads, rural electrification, agriculture and allied activities. As a part of national strategy, the villages having 40% and above Scheduled Castes population are being saturated first and provided with the infrastructure. The funds should be earmarked according to the proportion of SC population of the State population. During the year 2015-16, a sum of Rs. 338318.65 lacs was spent under SCSP, out of the total state plan expenditure Rs. 2059374.63 lacs i.e. expenditure is 16.42 percent by all departments concerned with SCSP.

E. NON PLAN SCHEMES

i. During the year 2015-16, an amount of Rs. 11323.56 lacs was disbursed as scholarship to Scheduled Castes students under the Scheme of "Post-Matric Scholarship Scheme for SC students".

ii. During the year 2015-16, an amount of Rs. 583.59 lacs was disbursed as scholarship to Backward Classes students under the Scheme of "Post-Matric Scholarship Scheme for O.B.C. students".

iii. An amount of Rs. 7.22 lacs was disbursed as scholarship to 289 students under the Scheme of "Pre-Matric Scholarship to Children of those who are engaged in Occupations involving Cleaning and Prone to Health hazard" during the year 2015-16.

iv. An amount of Rs. 90.68 lacs was utilised under the Scheme of "Staff for Hostel for "Pre-Matric Scholarship to Children of those who are engaged in Occupations Envoving Cleaning and Prone to Heath hazard" during the year 2015-16.

v. An amount of Rs. 101.00 lacs was utilised for providing training 193 Scheduled Caste Students in Type and Shorthand in Pre-examination Training Centres during the year 2015-16.

vi. During the year 2015-16, an amount of Rs. 21.18 lacs was utilised for providing hostel facilities to students living in the Hostels for Denotified Tribes students in Jind.

vii. An amount of Rs. 186.01 lacs was utilised to pay salaries and allowances to the staff of "Haryana Backward Classes Commission" during the year 2015-16.

viii. For the implementation of the aforesaid schemes, an amount of Rs. 2360.43 lacs (Rs. 2352.26 lacs Non Plan and Rs 8.17 lacs Plan) was utilised during the year 2015-16 to pay salary and allowances to the staff posted at Head Quarter, Districts and Tehsil Level.

F. RESERVATION POLICY

An "Employment Cell" in the Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes has been created for monitoring the reservation Policy of State Government for Scheduled Castes & Backward Classes in Govt. services and admission. The Roster Registers of various Government Departments/Public Sector Undertakings are checked by the Roster register checking party regularly.

The quantum of reservation as per reservation policy dated 15-07-2014 for various reserved categories in Haryana State is as under:-

Sr. No.	Category	Percentages of Reservation
1.	Scheduled Castes	20% for class I, II, III & IV posts in Direct Recruitment. 20% for class III & IV post in Promotion. *(reservation in Promotion has been stayed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court)*
2.	Backward Classes	15% in class I & II posts in Direct Recruitment. BC (A) 10% BC (B) 5 % 27% in class-III & IV posts in Direct Recruitment. (16% for Block 'A' & 11% for Block 'B')
3.	SBC	5% in class I & II posts in Direct Recruitment. 10% in class-III & IV posts in Direct Recruitment. *(The operation of SBC had been stayed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Cout vide order dared 26-05-2015)*
4.	Ex-Servicemen	5% Reservation in class I & II posts. 14% Horizontal Reservation (7% General, 2% SC, 2% BC Block 'A' & 3% BC Block 'B' in class III & IV posts.
5.	Outstanding Sports Persons	3% Horizontal Reservation (1% General, 1% SC & 1% BC from each Block by rotation) in class III & IV posts.
6.	Physically Handicapped	3% horizontal (1% for each i.e. P-H blind & deaf and dumb) in class I, II, III and IV posts.
7.	EBP Persons in the General Caste's	5% in class I & II posts in Direct Recruitment. 10% in class-III & IV posts in Direct Recruitment.

Backlog

Information pertaining to Backlog vacancies reserved for Scheduled Castes and Backward Classes as per available information upto 31.12.2012 has been prepared and same has already been sent to Chief Secretary's office Haryana. The Backlog status is as under:-

Name of Deptt./PSU/DCs	BACKLOG AS ON 31.12.2012									
	Scheduled Castes					Backward Classes				
	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
Departments	172	516	6580	442	7710	2	40	3803	996	4841
PSU	45	44	1280	332	1701	8	21	858	439	1326
Divisional Comm./DCs	0	0	111	36	147	0	0	111	53	164
Total	217	560	7971	810	9558	10	61	4772	1488	6331

3. This Administrative Report describes the schemes of the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department for the year 2015-16. The annexed report depicts the position in detail. While the State Govt. has initiated several schemes for socio-economic empowerment of Scheduled Castes & Backward Classes, persistent efforts are required to bring them at par with others This Department will address itself to this task with greater determination in the coming years.

4. This Review of the Report may be published in the Haryana Government Gazette and its copies of the Report be sent to the Govt. of India and other concerned quarters.

Dated, Chandigarh
6th March, 2017

Anil Kumar, IAS
Principal Secretary to Govt. Haryana
Welfare of Scheduled Castes and
Backward Classes Department.

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT FOR THE YEAR 2015-16

The Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department strives for the welfare of persons belonging to Scheduled Castes, Backward Classes & Denotified Tribes of the State. During the year 2015-16, a sum of Rs. 36871.20 lacs was allocated under State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non Plan Schemes for the Welfare of Scheduled Castes, Backward Classes & Denotified Tribes which was later revised to Rs. 65896.60 lacs by the Government. Out of this, an amount of Rs. 33534.49 lacs was spent i.e. Rs. 11505.77 lacs under State Plan Schemes, Rs. 7363.22 lacs under Centrally Sponsored Schemes and Rs. 14665.50 lacs under Non-Plan Schemes.

2. The main emphasis was on the Educational, Social and Economic Development of Scheduled Castes, Backward Classes & Denotified Tribes during the year 2015-16. Various schemes like Housing Scheme, Incentive for Inter-Caste marriage, Mukhyamantri Viwah Shagun Yojna, Tailoring Training to Scheduled Castes, Backward Classes, Widows/Girls and Scholarship at Pre and Post matric stages etc. were implemented in letter and spirit.

Anil Kumar, IAS
Principal Secretary to Govt. Haryana
Welfare of Scheduled Castes and
Backward Classes Department.

Dated, Chandigarh
6th March, 2017

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वर्ष 2015–16 में स्टेट प्लान (13139.50 लाख रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित (35514.10 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (2115.00 लाख रुपये) तथा नान प्लान (15127.40 लाख रुपये) योजनाओं के लिए कुल निर्धारित राशि 65896.00 लाख रुपये थी। उपरोक्त निर्धारित राशि में से 33534.49 लाख रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य प्लान (11505.77 रुपये), केन्द्रीय प्रयोजक प्लान (7363.22 लाख रुपये) तथा नान प्लान स्कीम (14665.50 लाख रुपये) में खर्च की गई।

2. स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रयोजक, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान स्कीमों का सारांश इस प्रकार है :–

(क) राज्य प्लान स्कीमे

(1) "अनुसूचित जातियों को मकान बनाने/मुरम्मत हेतु डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत 610.10 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 1249 लाभपात्रों को प्रदान की गई।

(2) टपरीवास एवं विमुक्त जातियों के लिए मकान निर्माण/मुरम्मत हेतु डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत 47.10 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 95 लाभपात्रों को प्रदान की गई।

(3) हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को इस वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 124.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु 350.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

(4) "अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत 56.24 लाख रुपये की राशि 1823 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने पर खर्च की गई।

(5) मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 6717.08 लाख रुपये की राशि 26784 लाभपात्रों को वर्ष 2015–16 में प्रदान की गई।

(6) वर्ष 2015–16 में "हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम" को इस वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 100.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च जुटाने हेतु 675.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप में दी गई है।

(7) वर्ष 2015–16 में डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 2408.18 लाख रुपये की राशि 25025 (12157 अनुसूचित जाति एवं 12868 पिछड़ा वर्ग) छात्रों को प्रदान की गई।

(8) सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत 5.74 लाख रुपये की राशि वर्ष 2015–16 में खर्च की गई।

(9) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्पयूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल स्कीम पर 36.70 लाख रुपये की राशि वर्ष 2015–16 में 193 युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु खर्च की गई।

(10) अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 0.68 लाख रुपये की राशि 07 अनुसूचित जाति की लड़कियों को प्रदान की गई है।

(11) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 2 संस्थाओं/समितियों को वर्ष 2015–16 में 4.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(12) अनुसंधान एवं अध्ययन के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 8.83 लाख रुपये की राशि वर्ष 2015–16 मे खर्च की गई।

(13) रोजगार उन्नमुख संस्थाए/प्रषिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 100.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

(1) भारत सरकार की "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 17631.22 लाख रुपये (11323.56 लाख नान प्लान तथा 6307.66 लाख केन्द्रीय हिस्सा) 74222 अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की गई।

(2) भारत सरकार की "पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 1177.95 लाख रुपये (583.59 लाख नान प्लान तथा 594.36 लाख केन्द्रीय हिस्सा) 49935 पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रदान की गई।

(3) बाबू जगजीवन राम स्कीम पर वर्ष 2015–16 में 200.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की मैरिट अपग्रेडशन स्कीम पर वर्ष 2015–16 में 7.25 लाख रुपये की राशि 29 छात्रों पर खर्च की गई है।

(5) "पी.सी.आर. एक्ट 1955" तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989" के परिपालन हेतु मशीनरी के अन्तर्गत स्कीमें :–

(क) कानूनी सहायता स्कीम–

वर्ष 2015–16 में कानूनी सहायता स्कीम के अन्तर्गत 2.42 लाख रुपये (1.21 लाख राज्य प्लान व 1.21 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि 44 लोगों को प्रदान की गई।

(ख) सामाजिक समरस्ता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना–

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 359 नव विवाहित जोड़ों को 179.50 लाख रुपये (89.75 लाख रुपये प्लान तथा 89.75 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई।

(ग) पंचायतों को पुरस्कार, स्कीमो का प्रचार तथा छुआछूत दूर करने हेतु डिबेटस व सैमीनार–

इस स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष 45.62 लाख रुपये (22.81 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 22.81 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि खर्च की गई। जिसमें से 31.00 लाख रुपये (15.50 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 15.50 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 62 पंचायतों को पुरस्कार के रूप में तथा 8.62 लाख रुपये (4.31लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 4.31 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई। 6.00 लाख रुपये (3.00 लाख रुपये स्टेट प्लान व 3.00 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 60 डिबेटस एवं सैमीनार पर खर्च की गई।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) के अन्तर्गत अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना–

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 280.36 लाख रुपये (140.18 लाख रुपये प्लान तथा 140.18 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 379 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदान की गई।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, परन्तु इस स्कीम के अन्तर्गत पिछले वर्षों की बिना खर्च राशि वर्ष 2015–16 में खर्च की गई। 491.23 लाख रुपये की राशि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा भिन्न–भिन्न आय उपार्जन स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु खर्च किए गए हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देने एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतु 21.72 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त सैन्ट्रल इन्स्टीच्यूट आफ प्लास्टीक इंजिनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, मुरथल द्वारा 120.00 लाख रुपये विभिन्न ट्रैनिंग प्रोग्राम पर खर्च किये गए।

(घ) अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP)

भारत सरकार, योजना आयोग के दिशानिर्देशानुसार, अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत केवल उन स्कीमों को शामिल किया जाता है जिनसे अनुसूचित जातियों को सीधा लाभ पहुंचता है तथा इसके अन्तर्गत न्युनतम सेवायें क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, न्यूट्रिशन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजली, कृषि और अन्य सम्बन्धित कार्यों पर प्राथमिकता प्रदान करना है। राष्ट्रीय नीतिगत अनुसार 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवो पर ढाचागत कार्य को किया जाता है। पूँजी को राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2015–16 में राज्य की वार्षिक योजना का कुल खर्च 2059374.63 लाख रुपये था, जिसमें से 338318.65 लाख रुपये अनुसूचित जाति–उपयोजना के अन्तर्गत खर्च किए गए थे (अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा 16.42 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी)।

(ङ) नान प्लान स्कीमें

(1) भारत सरकार की "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 11323.56 लाख रुपये की राशि को छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई।

(2) भारत सरकार की "अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 583.59 लाख रुपये की राशि को छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई।

(3) सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायों मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देने के लिए वर्ष 2015–16 में 7.22 लाख रुपये की राशि 289 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई।

(4) सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायों मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए होस्टल के स्टॉफ के लिए वर्ष 2015–16 में 90.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(5) विभाग द्वारा चलाये जा रहे है पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को टाईप तथा शार्टहैण्ड का प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2015–16 में 101.00 लाख रुपये की राशि 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई।

(6) वर्ष 2015–16 में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए जीन्द में स्थापित छात्रावास में रहने वाले छात्रो पर 21.18 लाख रुपये की राशि छात्रों को होस्टल सुविधा प्रदान करने हेतु खर्च की गई।

(7) हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले को वेतन तथा भत्ते देने के लिए 186.01 लाख रुपये की राशि वर्ष 2015–16 में खर्च की गई।

(8) उपरोक्त स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय, जिलों/तहसीलों आदि में नियुक्त अमले के वेतन तथा भत्तों पर वर्ष 2015–16 में 2360.43 लाख रुपये की राशि (2352.26 लाख रुपये नान प्लान साईड पर और 8.17 लाख रुपये प्लान साईड) खर्च की गई।

(च) आरक्षण नीति का संक्षिप्त विवरण

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग में एक रोजगार शाखा का गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गई सरकारी सेवाओं में आरक्षण एवं सरकारी शिक्षण संस्थानो तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानो में दाखिले में आरक्षण नीति की परिपालना/मूल्यांकन करवाया जाना है। विभाग की रोस्टर चैकिंग पार्टी द्वारा नियमित रूप से सभी विभागो एवं सार्वजनिक उपक्रमों के आरक्षण सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर चैक किए जाते है।

वर्तमान में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विशेष पिछड़ा वर्ग, सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, मेधावी खिलाड़ियों एवं निःशक्त जनो

के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति दिनांक 15.7.2014 अनुसार निम्न प्रकार से प्रावधान किया गया है:–

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण की प्रतिशतता
1.	अनुसूचित जाति	20 प्रतिशत श्रेणी I, II, III व IV सीधी भर्ती के पदों में 20 प्रतिशत श्रेणी III व IV पदोन्नति के पदों में *(माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के पदोन्नति के मामले में रोक लगा दी गई है)*
2.	पिछड़े वर्ग	15 प्रतिशत श्रेणी I व II सीधी भर्ती के पदों में पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'ए') 10 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों में पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'बी') 5 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों में 27 प्रतिशत श्रेणी III व IV सीधी भर्ती के पदों में (16 प्रतिशत ब्लाक 'ए' व 11 प्रतिशत ब्लाक 'बी')
3.	विशेष पिछड़ा वर्ग	5 प्रतिशत श्रेणी I व II सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत श्रेणी III व IV सीधी भर्ती के पदों में (माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया पर दिनांक 26.05.2015 को रोक लगा दी गई थी)
4.	भूतपूर्व सैनिक	5 प्रतिशत श्रेणी I व II के पदों में 14 प्रतिशत श्रेणी हारिजेन्टल आरक्षण (7 प्रतिशत सामान्य, 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 2 प्रतिशत पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'ए') व 3 प्रतिशत पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'बी') श्रेणी III व IV के पदों में)
5.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों	3 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण (1 प्रतिशत सामान्य, 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 1 प्रतिशत पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' व 'बी' में से बारम्बार) श्रेणी III व IV के पदों में
6.	निःशक्त जन	3 हारिजेन्टल आरक्षण (1 प्रतिशत प्रत्येक के लिए निःशक्त जन, नेत्रहीन व मूक एवं वधीर) श्रेणी I, II, III व IV के सीधी भर्ती पदों में
7.	सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग	5 प्रतिशत श्रेणी I व II सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत श्रेणी III व IV सीधी भर्ती के षदों में

बैकलॉग

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के बैकलॉग से सम्बन्धित दिनांक 31.12.2012 तक की सूचना तैयार करके मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजी जा चुकी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

विभाग / सार्वजनिक उपकरण / आयुक्त / उपायुक्त	दिनांक 31.12.2012 तक का बैकलॉग									
	अनुसूचित जातियां					पिछड़ा वर्ग				
	ए	बी	सी	डी	कुल	ए	बी	सी	डी	कुल
विभाग	172	516	6580	442	7710	2	40	3803	996	4841
सार्वजनिक उपकरण	45	44	1280	332	1701	8	21	858	439	1326
आयुक्त / उपायुक्त	0	0	111	36	147	0	0	111	53	164
कुल	217	560	7971	810	9558	10	61	4772	1488	6331

3 यह प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा का वर्ष 2015–16 की स्कीमों का वर्णन करती है। इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले पृष्ठों में भिन्न–भिन्न स्कीमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई स्कीमें शुरू की है परन्तु उन्हें दूसरे वर्गों के बराबर लाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है और आने वाले वर्षों में विभाग इसके लिए और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करेगा।

4. इस रिपोर्ट की समीक्षा को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार को तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को भेज दी जाएं।

अनिल कुमार, आई०ए०एस०,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

दिनांक चण्डीगढ़
6 मार्च, 2017

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की वर्ष 2015–16 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समालोचना।

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य के अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जाति के कल्याण के लिए भरसक प्रयत्न करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रायोजित, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान योजनाओं के लिए कुल 36871.20 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी परन्तु सरकार ने यह राशि बाद में 65896.00 लाख रुपये कर दी। इस राशि में से कुल 33534.49 लाख रुपये (11505.77 लाख रुपये राज्य प्लान, 7363.22 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित तथा 14665.50 लाख रुपये नान प्लान) का वास्तविक खर्चा हुआ है।

2. इस वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति एवं टपरीवास जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास को महत्व दिया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न योजनाएं जैसे मकान योजना, अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अनुसूचित जाति की विधवाओं/महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण तथा पूर्व तथा पोस्ट मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजनाएं आदि परिपालित की गई।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

दिनांक चण्डीगढ़ :
6 मार्च, 2017

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2015—16 की प्रशासनिक रिपोर्ट

1 भूमिका

यह अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की 50वीं प्रशासनिक रिपोर्ट है। इसका सम्बन्ध 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक है। इस विभाग ने हरियाणा राज्य बनने के पश्चात् इन जातियों की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं जो कि इस विभाग द्वारा चलाई गई स्कीमों के विस्तृत वर्णन से स्पष्ट है।

इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति एवं टपरीवास जातियों के कल्याण के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गई हैं, ताकि इन जातियों का आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक उत्थान हो और यह जातियां समाज की दूसरी जातियों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें। मंत्री इन्चार्ज तथा प्रशासकीय सचिव के अतिरिक्त निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग इस विभाग के विभागाध्यक्ष है। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसील कल्याण अधिकारी विभाग का काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

2 प्रशासन

इस वर्ष के दौरान 01.04.2015 से 30.05.2015 तक श्रीमती अमनीत पी0 कुमार, आई0ए0एस0 तथा 30.05.2015 से 31.03.2016 तक श्री शेखर विद्यार्थी, आई0ए0एस0 इस विभाग के निदेशक रहे हैं। निदेशालय तथा क्षेत्र में स्वीकृत अमले का विवरण इस प्रकार है :—

क्र0 सं0	पद का नाम निदेशालय	पे—बैंड	ग्रेड—पे	स्थाई	अस्थाई	कुल
1.	निदेशक	37400—67000	8700	—	1	1
2.	मुख्य लेखा अधिकारी	15600—39100	7600	—	1	1
3	संयुक्त निदेशक	15600—39100	6400	1	1	2
4	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	15600—39100	6000	—	1	1
5.	उप—निदेशक	9300—34800	5400	3	—	3
6.	लेखा अधिकारी	9300—34800	5400	—	1	1
7.	सांख्यिकीय अधिकारी	9300—34800	4200	1	—	1

8.	अनुसंधान अधिकारी	9300—34800	4200	1	—	1
9.	अधीक्षक	9300—34800	4200	1	1	2
10.	महिला कल्याण अधिकारी	9300—34800	4000	1	—	1
11.	अनुभाग अधिकारी	9300—34800	4600	1	2	3
12.	निजी सहायक	9300—34800	4000	—	1	1
13.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	9300—34800	4000	3	1	4
14.	उप—अधीक्षक	9300—34800	4000	3	—	3
15.	सांख्यिकीय सहायक	9300—34800	3600	6	2	8
16	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	9300—34800	3600	—	1	1
17.	सहायक	9300—34800	3600	13	3	16
18.	लेखाकार	9300—34800	3600	2	—	2
19.	जूनियर आडिटर	9300—34800	3600	2	2	4
20.	कैशियर	9300—34800	2400	1	—	1
21.	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5200—20200	2400	2	4	6
22.	स्टैनोटाईपिस्ट	5200—20200+ 100/— विशेष वेतन	1900	2	5	7
23	चालक	5200—20200+ 200/—विशेष वेतन	2400	1	—	1
24.	लिपिक/रिकार्ड कीपर/स्टोर कीपर/टाईपिस्ट	5200—20200	1900	11	8	19
25	सेवादार	4440—7440	1300	12	1	13
26.	स्वीपर कम चौकीदार	4440—7440+350/— विशेष वेतन	1300	1	—	1

क्षेत्रीय अमला

क्र०सं०	पद का नाम	पे–बैंड	ग्रेड–पे	स्थाई	अस्थाई	कुल
1.	जिला कल्याण अधिकारी	9300–34800	4600	16	5	21
2.	उप–अधीक्षक	9300–34800	4000	13	8	21
3.	सांख्यिकीय सहायक	9300–34800	3600	3	18	21
4.	सहायक	9300–34800	3600	16	5	21
5.	तहसील कल्याण अधिकारी	9300–34800	3600	47	15	62
6.	लेडी सुपरवाईजर	9300–34800	3600	1	5	6
7.	स्टैनोटाइपिस्ट	5200–20200+ 100/– विशेष वेतन	1900	5	16	21
8.	होस्टल वार्डन	9300–34800	3600	5	1	6
9.	लेखाकार एवं लिपिक	5200–20200	2400	12	15	27
10.	लिपिक	5200–20200	1900	62	17	83
11.	महिला समाज सेविका	5200–20200	2400	87	–	87
12.	चालक	5200–20200	2400	12	1	13
13.	महिला परिचारिका	4440–7440	1300	78	22	100
14.	सेवादार	4440–7440	1300	30	45	75
15.	स्वीपर कम चौंकीदार	4440–7440+ 350/– विशेष वेतन	1300	4	18	22
16.	चौंकीदार	4440–7440	1300	–	6	6
17.	कुक	4440–7440	1400	–	10	10
18.	सहायक कुक	4440–7440	1400	–	2	2
19.	स्वीपर	4440–7440	1300	–	6	6

पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

क्र०सं०	पद का नाम	पे–बैंड	ग्रेड–पे	स्थाई	अस्थाई	कुल
1.	प्रधानाचार्य	9300–34800	4200	1	—	1
2.	प्राध्यापक हिन्दी	9300–34800	4000	—	4	4
3.	प्राध्यापक अंग्रेजी	9300–34800	4000	—	4	4
4.	प्राध्यापक गणित	9300–34800	4000	—	2	2
5.	प्राध्यापक सामान्य ज्ञान	9300–34800	4000	—	4	4
6.	लेखाकार एवं लिपिक	5200–20200	2400	—	4	4
7.	सेवादार	4440–7440	1300	3	1	4
8.	स्वीपर कम चौंकीदार	4440–7440+350 विशेष वेतन	1300	—	1	1
9.	चौंकीदार	4440–7440	1300	1	—	1

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

इन लोगों को संविधान में वर्णित न केवल कुछ संरक्षण ही प्रदान किए गए हैं वरन इनकी वित्तीय दशा को सुधारने के उद्देश्य से कई पग भी उठाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि राज्य सरकार जनता के दुर्बलतम लोगों की विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगी तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगी। इसका अनुसरण करते हुए इन जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी धन की व्यवस्था की, इन जातियों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम धार्मिक एवं सामाजिक निरयोग्यता उन्मूलन अधिनियम 1948 था। इसका उद्देश्य समाज से छूआछूत की बुराई को दूर करना था। इसको वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा बनाए गए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाने लगा जो कि अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को होटलों, मनोरंजन स्थानों, कुओं, तालाबों तथा मन्दिरों में जाने से रोकना जुर्म है तथा प्रतिबन्ध लगाने वाले को सजा दी जाती है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वरिष्ठतम अपर सब न्यायाधीश को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त न्यायालयों की स्थापना के साथ-साथ ही न्याय एवं प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से लोक अभियोजकों को इन विशेष न्यायालयों में मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

3.2 अनुसूचित जातियां

हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बहुत सी स्कीमें अनूसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं ताकि इन जातियों के लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हो सके। इसके अतिरिक्त इनके आर्थिक विकास के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की हुई है। हरियाणा राज्य में 37 जातियाँ अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है जिसकी सूची अनुबन्ध' क' पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों की संख्या का जिला वार ब्यौरा अनुबन्ध 'घ' पर है।

3.3 विमुक्त जातियां

इन जातियों को 1952 में मान्यता दी गई है। इनके कल्याण के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। इनके बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिए

छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन जातियों के लिए मकान अनुदान, लड़कियों की शादी हेतु शगुन प्रदान किया जाता है। इन जातियों के बच्चों के लिए जीन्द में एक छात्रावास चलाया जा रहा है। जिसमें 50 छात्रो का प्रबंध है। इस छात्रवास में मुफ्त भोजन तथा रहने की व्यवस्था है। विमुक्त जातियों की सूचि अनुबन्ध' ख' पर है।

3.4 पिछड़े वर्ग

हरियाणा सरकार द्वारा 77 जातियों को पिछड़े वर्ग में घोषित किया हुआ है जिनकी सूचि अनुबन्ध 'ग' पर दी गई है। आरक्षण का लाभ उन जातियों को ही प्रदान किया गया है जो सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) की परिभाषा में नहीं आते हैं। पिछड़ी जाति के बच्चों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है। इसके साथ–साथ इन जातियों के आर्थिक विकास हेतु हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी।

4. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जातियों के लिए लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। इन वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक, तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थानों में दाखिले में 20 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए है। इन वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में श्रेणी III तथा IV में 27 प्रतिशत (16 प्रतिशत ब्लाक 'ए' तथा 11 प्रतिशत ब्लाक 'बी') तथा श्रेणी I तथा II में 10 प्रतिशत तथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में 27 प्रतिशत (16 प्रतिशत ब्लाक 'ए' तथा 11 प्रतिशत ब्लाक 'बी') आरक्षण किया गया है।

इस समय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, उसके बारे में विभिन्न विभागों में समय–समय पर इन जातियों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसके बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट इस विभाग में स्थापित रोजगार सैल द्वारा एकत्रित की जाती है तथा इस सैल द्वारा विभिन्न विभागों/बोर्डो/निगमों द्वारा इस सम्बन्ध में जो रोस्टर रजिस्टर तैयार किए जाते हैं उनका निरीक्षण भी किया जाता है। वर्ष 2015–16 में 60 विभागों/बोर्डों आदि के रोस्टर रजिस्टर चैक किए गए।

5. विभाग के बजट की समीक्षा

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के वर्ष 2015–16 के बजट मे स्टेट प्लान स्कीमों, केन्द्रीय प्रायोजक योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान योजनाओं के अन्तर्गत 36631.31 लाख रुपये की राशि की कुल व्यवस्था थी। यह

राशि वित्त वर्ष के अन्त में 36330.64 लाख रुपये कर दी गई। विभाग की स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रायोजक, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान की भिन्न–भिन्न स्कीमों पर 27122.55 लाख रुपये खर्च किए गए। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

(रुपये लाखों में)

क्र0 सं0	स्कीमें	मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	कुल खर्च
1)	राज्य प्लान स्कीमें	16500.00	13139.50	11505.77
2)	केन्द्रीय प्रायोजक स्कीमें	3500.00	35514.10	7363.22
3)	विशेष केन्द्रीय सहायता	1295.00	2115.00	0.00
4)	नान प्लान स्कीमें	15576.20	15127.40	14665.50
	कुल जोड़	36871.20	65896.00	33534.49

क्र0 सं0	राज्य प्लान स्कीमें	मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	कुल खर्च
1	डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना	2000.00	2550.00	2408.18
2	अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	0.68
3	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों की कम्पयूटर के माध्यम से टाईपिंग तथा डाटा एन्ट्री में निपुणता बढौतरी	40.00	50.00	36.70
4	अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता	50.00	0.00	0.00
5	अनुसंधान एवं अध्ययन	10.00	16.00	8.83

6	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता	1.00	0.00	0.00
7	रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना।	100.00	100.00	100.00
8	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की संस्थाओं/सोसायटी को वित्तीय सहायता	50.00	20.00	4.00
9	हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को प्रशासकीय खर्च जुटाने हेतु अनुदान	350.00	350.00	350.00
10	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को प्रशासकीय खर्चे को जुटाने हेतु अनुदान	675.00	675.00	675.00
11	पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए आवास	170.00	0.00	0.00
12	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर आवास योजना	4000.00	1000.00	657.20
13	मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना	8000.00	7500.00	6717.08
14	अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण	110.00	82.00	56.24

15	सूचना प्रौद्योगिकी	30.00	10.00	5.74
16	मुख्यालय अमला	40.00	10.00	8.17
17	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना(लड़कों के लिए)	47.50	0.00	0.00
18	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण	250.00	250.00	0.00
19	कल्याण भवन निर्माण	40.00	0.00	0.00
20	पी.सी.आर. एक्ट (अत्याचार निवारण अधिनियम) की पालना के लिए मशीनरी			
I)	छुआछूत को दूर करने हेतु डिबेट व सेमिनार	3.00	3.00	3.00
ii)	उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन	24.25	24.25	15.50
iii)	स्कीमों का प्रचार	10.00	10.00	4.31
iv)	कानूनी सहायता	2.75	2.75	1.21
v)	अन्तर्जातीय विवाह योजना	100.00	100.00	89.75
vi)	अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	162.50	162.50	140.18
21	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को शेयर कैपिटल	100.00	100.00	100.00
22	हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को शेयर कैपिटल	124.00	124.00	124.00
	कुल	**16500.00**	**13139.50**	**11505.77**

क्र०सं०	प्लान स्कीमें	मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	कुल खर्च
	100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
1	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2243.90	27850.00	6307.66
2	अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	249.90	3000.00	594.36
3	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.10	0.10	0.00
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मैरिट अपग्रेडेशन स्कीम	10.00	14.00	7.25
5	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	300.00	400.00	200.00
6	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	3300.00	0.00
7	**विशेष केन्द्रीय सहायता**			
i)	परम्परागत योजनाएं जैसे कि डेयरी, सुअर पालन और अन्य योजनाओं के लिए सब्सिडी	795.00	795.00	0.00
ii)	50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईट सिस्टम	500.00	100.00	0.00
iii)	अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रोग्राम	0.00	1100.00	0.00
IV)	अनुसूचित जाति व अन्य के लिए बुनियादी ढांचा विकास	0.00	120.00	0.00
	कुल	**4098.90**	**36679.10**	**7109.27**

	50:50 शेयर स्कीमें			
8	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए)	47.50	47.50	0
9	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण	250.00	0.00	0
10	पिछड़ें वर्ग के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तित योजना	0.10	600.00	0.00
11	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को शेयर कैपिटल	96.00	0.00	0
12	पी.सी.आर. एक्ट 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की पालना			
i)	छुआछूत को दूर करने हेतु डिबेट व सेमिनार	3.00	3.00	3.00
ii)	उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन	24.25	24.25	15.50
iii)	स्कीमों का प्रचार	10.00	10.00	4.31
iv)	कानूनी सहायता	2.75	2.75	1.21
v)	अन्तर्जातीय विवाह योजना	100.00	100.00	89.75
vi)	अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	162.50	162.50	140.18
	कुल	**696.10**	**950.00**	**253.95**
	कुल योग	**4795.00**	**37629.10**	**7363.22**

क्र० सं०	नान प्लान स्कीमें	मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	कुल खर्च
1	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	10962.20	11387.00	11323.56
2	अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	736.00	736.00	583.59
3	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	20.00	15.00	7.22
4	मुख्यालय अमला	554.70	435.00	401.47
5	क्षेत्रीय अमला	2776.90	2104.00	1950.79
6	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	156.20	116.95	101.00
7	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तित के लिए होस्टल के स्टॉफ	141.20	98.20	90.68
8	विमुक्त जाति के छात्रो के लिए जीन्द में छात्रावास	29.50	26.45	21.18
9	हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले पर व्यय	199.50	208.80	186.01
	कुल योग	**15576.20**	**15127.40**	**14665.50**

6 राज्य प्लान स्कीमें

6.1 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को डॉ० बी० आर० अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने/मुरम्मत के लिए अनुदान।

अनुसूचित जाति के सदस्य जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास निवास के लिए रहने योग्य मकान नहीं होते उनको इस विभाग द्वारा मकान बनाने के लिए 50,000 रुपये/– व 10,000 रुपये/– मकान की मुरम्मत के लिए अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभपात्रों के पास कम से कम 50 वर्ग गज का प्लाट होना चाहिए। इस वर्ष 610.10 लाख रुपये 1249 व्यक्तियों को अनुदान के रूप में दिए गए।

6.2 टपरीवास एवं विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने/मुरम्मत के लिए अनुदान

अनुसूचित जातियों की भांति टपरीवास एवं विमुक्त जाति के व्यक्तियों को भी मकान बनाने के लिए 50,000/– रुपये तथा मुरम्मत के लिए 10,000/– रुपये अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष 47.10 लाख रुपये की राशि 95 व्यक्तियों को दी गई।

6.3 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को शेयर कैपिटल।

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 2.00 करोड रुपये की अधिकृत पूंजी से हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की स्थापना दिसम्बर 1980 में की गई थी। यह हिस्सा पूंजी बाद में बढ़ाकर 40.00 करोड़ रुपये कर दी गई। इस वर्ष निगम को 124.00 लाख रुपए की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में दी गई। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निगम को प्रशासकीय खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु 350.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।

6.4 अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं को सिलाई का प्रशिक्षण।

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाली प्रत्येक अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवा/निराश्रित महिला/गरीब लड़कियों जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये है, को इस स्कीम के अन्तर्गत 100/– प्रतिमास प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति दी जाती है तथा 150/– प्रतिमास कच्चे माल पर प्रति प्रशिक्षणार्थी के लिए खर्च किए जाते हैं और एक वर्ष का कोर्स पूरा होने पर एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि सिलाई सीखने के बाद वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें। वर्ष

2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 56.24 लाख रुपये व्यय किए गए जिससे 1823 विधवाओं/लड़कियों को लाभ पहुंचा। यह स्कीम राज्य में स्थित 73 कल्याण केन्द्रों में चलाई गई।

6.5 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों तथा अनुसूचित जाति व सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की एवम् स्वयं विधवा की शादी के लिए वर्ष 2005 से "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" शुरू की गई, जिसके तहत लड़की एवम् स्वयं विधवा की शादी के समय 15,000/– रुपये तथा समाज के शेष वर्गों को 5100/– रुपये शगुन के रूप में दिये जाते थे। प्रदेश सरकार द्वारा 26 जनवरी 2010 से उक्त राशि बढ़ाकर क्रमशः 31,000/– रुपये एवं 11,000/– रुपये कर दी गई है। वर्ष 2015–16 में 6717.08 लाख रुपये की राशि 26784 लाभपात्रों पर खर्च की गई।

6.6 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को हिस्सा पूंजी की राशि तथा मैचिंग असिस्टैंस तथा प्रशासनिक खर्चे हेतु अनुदान

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय साधनों को मजबूत करने के दृष्टिगत राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा 51:49 के आधार पर हिस्सा पूंजी जुटाई जाती है। निगम ने अपनी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 7089 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुल 4531.17 लाख रुपये (अनुदान 491.23 लाख रुपये, मार्जन मनी 167.92 लाख रुपये, 252.56 लाख रुपये सीधा ऋण तथा 3619.46 लाख रुपये बैंक ऋण) के रूप में वितरित किए। निगम को 675.00 लाख रुपये प्रशासनिक खर्च हेतु प्रदान किए गए।

6.7 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 2408.18 लाख रुपये की राशि 25025 (12157 अनुसूचित जाति एवं 12868 पिछड़े वर्ग) छात्रों पर खर्च की गई।

6.8 सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष 2015–16 में सूचना प्रौद्योगिकी पर 5.74 लाख की राशि खर्च की गई।

6.9 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवको हेतु "अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों का कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री

मे कौशल विकास" नामक योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत इन वर्गों के बेरोजगार युवकों जिनके अभिभावको की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो, को एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 250 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत 36.70 लाख रुपये की राशि 193 युवकों पर खर्च की गई है।

6.10 अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई ताकि वे अपनी पढ़ाई आर्थिक कठिनाईयों के कारण बीच में न छोडें। इस स्कीम के अन्तर्गत जिन अनुसूचित जाति के छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से 2.40 लाख रुपये है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर वर्ष 2015–16 में 0.68 लाख रुपये की राशि 7 छात्राओं को प्रदान की गई।

6.11 अनुसूचित जाति एवम् पिछड़े वर्ग की संस्थाओं/सोसाईटी को वित्तीय सहायता

इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवम् पिछड़ा वर्ग की संस्थाओं को सामुदायिक भवन, शैक्षणिक एवम् सामाजिक कार्यों के प्रयोग, निर्माण एवम् रख रखाव के लिए अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 2 संस्थाओं/समितियों को वर्ष 2015–16 में 4.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

6.12 अनुसंधान एवं अध्ययन

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 8.83 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

6.13 रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना स्कीम

रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 100.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

7.1 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम परिपालित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230/– रुपये से लेकर 1200/– रुपये तक प्रतिमास की छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय फीस तथा अन्य अनिवार्य फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस वर्ष इस स्कीम के

अन्तर्गत कुल 17631.22 लाख रुपये की राशि (11323.56 लाख रुपये नान प्लान तथा 6307.66 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सा) 57996 विद्यार्थियों पर व्यय की गई। यह स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा परिपालित की जा रही है। राज्य से बाहर पढ़ने वाले तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को इस विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

7.2 अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

इस स्कीम के अन्तर्गत प्रतिमास 160 रुपये से 750 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग की महिलाओं/लड़कियों जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, विधवाओं के बच्चे तथा अनाथ व असहाय विद्यार्थियों को सभी नॉन रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है। आय सीमा 1.00 लाख की गई है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत कुल 1177.95 लाख रुपये की राशि (583.59 लाख रुपये नान प्लान तथा 594.36 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सा) 57996 विद्यार्थियों पर व्यय की गई। यह स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा परिपालित की जा रही है। राज्य से बाहर पढ़ने वाले तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को इस विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

7.3 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु सरकारी संस्थाओं को छात्रावास निर्माण के लिए राज्य सरकार, राज्य विश्वविद्यालय को छात्रावास निर्माण/बढ़ोतरी के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता व निजी, सम विश्वविद्यालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को छात्रावास की बढ़ोतरी हेतु 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जाती है और अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावास निर्माण या बढ़ोतरी हेतु 45 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा व शेष 45 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व 10 प्रतिशत विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दी जाती है तथा सरकारी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 45 प्रतिशत भारत सरकार तथा 55 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। निर्माण लागत की गणना भारत सरकार की हिदायतों अनुसार की जाती है। बाबू जगजीवन राम स्कीम पर वर्ष 2015–16 में 200.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

7.4 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की मैरिट अपग्रेडेशन स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रावास में रहने वाले नौवीं से 12 कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष कक्षाएं आयोजित करके अच्छे अंकों से प्रतियोगिता हेतु तैयारी करवाई जाती है। इस वर्ष इस स्कीम पर 7.25 लाख रुपये की राशि 29 छात्रों पर खर्च की गई।

7.5 पी.सी.आर.एक्ट 1955 तथा अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की पालना हेतु मशीनरी

(क) कानूनी सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें, भूमिपतियों द्वारा अत्याचार और भूमि बेदखली के मुकदमों में पैरवी करने के लिए कानूनी सहायता दी जाती है। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अन्तर्गत 2.42 लाख रुपये (1.21 प्लान व 1.21 केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि 44 व्यक्तियों पर खर्च की गई है।

(ख) मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना

अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों से विवाह करने वाले गैर अनुसूचित जाति की लड़की/लड़के को 1.01लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते है। उक्त राशि दम्पति के संयुक्त खाते में जमा कर दिए जाते हैं। वर्ष 2015–16 में 179.50 लाख रुपये (89.75 लाख रुपये प्लान तथा 89.75 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित योजना) की राशि 359 नवविवाहित जोड़ों को प्रदान की गई।

(ग) पंचायतों को पुरस्कार राशि, स्कीमों का प्रचार तथा छुआछूत को दूर करने हेतु डिबेट्स व सैमीनार

इस स्कीम के अन्तर्गत 45.62 लाख रुपये (22.81 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 22.81 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि खर्च की गई। अनुसूचित जातियों के लिए जो पंचायत प्रकृष्ठ कार्य जैसे छूआछूत को दूर करना, गलियां पक्की करना तथा लड़कियों का स्कूल में दाखिल कराना आदि का कार्य करती हैं, उन्हें 50000/– रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान 31.00 लाख रुपये (15.50 लाख रुपये प्लान तथा 15.50 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) व्यय किये गये और 62 पंचायतों को पुरस्कार दिये गये तथा 8.62 लाख रुपये (4.31 लाख रुपये प्लान तथा 4.31 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई। 56 डिबेट्स एवं सैमीनार पर 6.00 लाख रुपये (3.00 लाख रुपये स्टेट प्लान व 3.00 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि खर्च की गई।

(घ) अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा अत्याचार किए जाने से होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 75000/– रुपये से 7.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2015–16 में इस स्कीम के अन्तर्गत

280.36 लाख रुपये से (140.18 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित प्लान से तथा 140.18 लाख रुपये प्लान) 379 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई।

8. विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से कोई राषि प्राप्त नहीं हुई, परन्तु इस स्कीम के अन्तर्गत पिछले वर्षो की बिना खर्च राशि वर्ष 2015–16 में खर्च की गई। इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2015–16 में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 491.23 लाख रुपये विभिन्न आय उपार्जन स्कीमों के परिपालन हेतु खर्च किए गए, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देने एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतु 21.72 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त सैन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टीक इंजिनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, मुरथल द्वारा 120.00 लाख रुपये विभिन्न ट्रैनिंग प्रोग्राम पर खर्च किये गए।

9. अनुसूचित जाति उप योजना

भारत सरकार, योजना आयोग के दिशानिर्देशानुसार, अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत उन स्कीमों को शामिल किया जात है जिनसे अनुसूचित जातियों को सीधा लाभ पहुंचता है। इसके अन्तर्गत न्युनतम सेवायें क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, न्यूट्रिशन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजली, कृषि और अन्य सम्बन्धित कार्यों पर प्राथमिकता प्रदान करना है। राष्ट्रीय नीतिगत अनुसार 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों पर ढांचागत कार्य को किया जाता है। वर्ष 2015–16 में राज्य की वार्षिक योजना का कुल खर्च 2059374.63 लाख रुपये था, जिसमें से 338318.65 लाख रुपये अनुसूचित जाति–उपयोजना के अन्तर्गत खर्च किए गए थे (अर्थात अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा 16.42 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी)।

10. नान प्लान स्कीमें

10.1 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

केद्रीय प्रायोजित स्कीम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत मैट्रिकोतर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिमास 230/– रुपये से 1200/– रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है। बशर्ते की उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। भारत सरकार की "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत् वर्ष 2015–16 में 11323 लाख रुपये की राशि को छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई।

10.2 पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

इस स्कीम के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं में 160/–रुपये से लेकर 750/– रुपये तक प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रों को सभी अनिवार्य फीसों की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 1.00 लाख रुपये हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 583.59 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

10.3 सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायों मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों को साफ करना, चमड़ा रंगना और खाल उतारना आदि में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों के लिए करनाल, रोहतक, अम्बाला, रेवाड़ी तथा फरीदबाद में होस्टल स्थापित किए हुए हैं। वर्ष 2015–16 में इन छात्रावासों में 289 बच्चों पर 7.22 लाख रुपये खर्च किए गए।

10.4 सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायों मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए होस्टल के स्टॉफ

अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों को साफ करना, चमड़ा रंगना और खाल उतारना आदि में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों के लिए करनाल, रोहतक, अम्बाला, रेवाड़ी तथा फरीदबाद में होस्टल स्थापित किए हुए हैं। वर्ष 2015–16 में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए होस्टल के स्टॉफ पर 90.68 लाख रुपये खर्च किए गए।

10.5 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

इस विभाग द्वारा 6 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अम्बाला, भिवानी, रोहतक, हिसार, करनाल तथा रेवाड़ी में चलाए जा रहें हैं। इन केन्द्रों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को हिन्दी/अंग्रेजी में टाईप तथा शार्टहैण्ड का एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन उम्मीदवारों को 100/– रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। इस वर्ष 193 अनूसूचित जाति के विद्यार्थियों को नियमित एक वर्ष का टाईप तथा शार्टहैंड में प्रशिक्षण के लिए दाखिला दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 101.00 लाख रुपये खर्च किये गये।

10.4 विमुक्त जाति के छात्रो के लिए जीन्द में छात्रावास

जिला जीन्द में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए एक छात्रावास चलाया जा रहा है जिसमे 50 छात्रों का रहने का प्रावधान है। छात्रों को छात्रावास में मुफ्त खाना, रहने की सुविधा बिस्तर आदि भी उपलब्ध करवाएं जाते हैं। इनमें रहने वाले छात्रों को 700/–रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके बदले छात्रों को मुक्त रहने व खाने की सुविधा प्रदान की जाती है तथा 1000/– रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान

प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015–16 में 21.18 लाख रुपये की राशि नान प्लान साईड से खर्च की गई।

10.5 हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले पर व्यय

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत सरकार सिविल रिट पैटीशन नं० 930 आफ 1990 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दिए निर्देशों की पालना के दृष्टिगत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.10.1993 द्वारा हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसको पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों को सम्पूर्ण रूप से विचार करके अपनी सिफारिश करना तथा सम्पन्न वर्गों की पहचान करने आदि का कार्य सौंपा गया है। इस वर्ष इस आयोग के अमले पर नान प्लान साईड से 186.01 लाख रुपये का खर्च हुआ।

10.6 विभाग के अमले पर व्यय

इन सभी स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय तथा क्षेत्र में नियुक्त मद नं० 2 में दर्शाए गए अमले पर वर्ष 2015–16 में 2360.43 लाख रुपये की राशि (2352.26 लाख रुपये नान प्लान साईड पर तथा 8.17 लाख रुपये प्लान साईड पर) खर्च की गई।

10.7 चौकसी से सम्बन्धित सूचना

इस विभाग में वर्ष 2015–16 में चौकसी से सम्बन्धित एक मामला लम्बित है।

10.8 उपसंहार

सारांश यह है कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त एवं टपरीवास जातियों के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना जैसी सभी योजनाओं पर पूर्णतः अमल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों को सरकारी/अर्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण नीति भली भान्ति लागू करने के उद्देश्य से 60 विभागों/निगमों के रोस्टर रजिस्टर चैक किए गए हैं। महिलाओं के सामाजिक/आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए राज्य के विभिन्न गांवों में 69 कल्याण केन्द्र चलाए गए हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को एक साल का सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण उपरान्त एक नई सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है। इन सब कार्यक्रमों से इस विभाग को यह श्रेय प्राप्त होगा कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त एवं टपरीवास जातियों की शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधरेगी तथा इनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी जिससे यह अन्य जातियों की तरह सम्मानित तथा सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

अनुबन्ध – "क"
अनुसूचित जाति की सूची

1.	आद्धर्मी	21.	कोरी, कोली
2.	बाल्मीकी	22.	मरीजा, मरीचा
3.	बंगाली	23.	मजहबी, मजहबी सिख
4.	बरार, बुरार, बिरार	24.	मेघ, मेघवाल
5.	बटवाल, बरवाला	25.	नट, बादी
6.	बोरिया, बावरिया	26.	ओड
7.	बाजीगर	27.	पासी
8.	भंजरा	28.	पेरना
9.	चमार, जटिया–चमार, रेहगर, रायगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोही, भटोई, भाम्बी, चमार–रोहिदास, जाटव, जाटवा, रामदासिया	29.	फरेरा
10.	चनाल	30.	सनहाई
11.	दागी	31.	सनहाल
12.	डरेन	32.	सांसी, भेंडकूट, मनेश
13.	डेहा, डहया, डीया	33.	संसोई
14.	धानक	34.	सपेला, सपेरा
15.	डोगरी, डांगरी, सिग्गी	35.	सरेड़ा
16.	डूमना, महाशा, डूम	36.	सिकलीगर, बारिया
17.	गगड़ा	37.	सिरकीबंद
18.	गंधीला, गंदील, गंदोला		
19.	कबीर पंथी, जुलाहा, कबीर पंथी जुलाहा		
20.	खटीक		

अनुबन्ध – "ख"
विमुक्त जाति की सूचि

1.	बंगाली	(xvi)	हरार
2.	बरार	(xvii)	रहलवाला
3.	बोरिया	(xviii)	बिडडू
4.	नट	(xix)	लेगेह
5.	गंधीला	(xx)	सिंगीवाला
6.	सांसी	(xxi)	कलखर
(नीचे लिखी उप जातियों सहित)		(xxii)	चड्डी, चाडी
(i)	कूचबन्द	(xxiii)	बीरतवान
(ii)	भेडकूट	(xxiv)	बिहालिया
(iii)	मनेश	(xxv)	पाखीवाड़ा
(iv)	गोदरी	(xxvi)	बददन
(v)	रेचबन्द	(xxvii)	हरनी
(vi)	केपेट	7.	करनाल के तेगू
(vii)	अहारिया	8.	पुलिस स्टेशन शंकरपुर जिला शेखपुरा से आने वाले महातम
(viii)	तेतलू	9.	मीना
(ix)	भेड़िया	10.	गुड़गांवां के धीनवारा
(x)	भंटू	11.	जिला कांगड़ा के भौरा ब्राहमण
(xi)	अरहर		
(xii)	भटूट		
(xiii)	चाटटू		
(xiv)	हाबूरा		
(xv)	कीकन		

टपरीवास जाति की सूची

1. बाजीगर
2. मिरासी
3. सिक्लीगर
4. सपेरा
5. पेरना
6. गवारिया
7. बंजारा
8. भोरगिर
9. हेड़ी, नायक
10. कंजर
11. डेह
12. मल्लाह
13. गाड़ी लोहार

अनुबन्ध –''ग''
हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची
ब्लाक ''ए''

क्रमांक	जाति का नाम	क्रमांक	जाति का नाम
1.	अहेरिया, अहेड़ी, हेडी, नायक, थोरी या तूरी, हारी	23.	धीराथ
2.	बर्रा	24.	घासी, घसियारा, या घोसी
3.	बेटा, हैंसी या हैसी	25.	गोरखा
4.	बगड़िया	26.	गवाला, गोवाला
5.	बरवार	27.	गडरिया, पाल, बाघेल
6.	बराए, तम्बोली	28.	गाड़ी लोहार
7.	बरागी, बैरागी, स्वामी साध	29	हजाम, नाई, नाईज, सैन
8.	बटेरा	30	झांगड़ा–ब्राह्मण, खाती, सुथार, धीमान– ब्राह्मण, तरखान, बरहाई, बाड्डी
9.	भडभूंजा, भडभूजा	31	जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम–जोगी, योगी
10.	भाट, भाटड़ा, दार्पी, रामिया	32.	कंजर, कंचन
11.	बुहालिया, लोहार	33.	कुर्मी
12.	चन्गार	34.	कुम्हार, प्रजापति
13.	चिड़ीमार	35.	कम्बोज
14.	चंग	36.	खंगहेड़ा
15.	चिम्बा, छिप्पी, चिम्पा, दर्जी, रोहिला	37.	कुचबन्द
16.	डेया	38.	लबाना ,
17.	धोबी/धोबी रजक	39.	लखेरा, मनीहार, कचेरा
18.	डाकोत	40.	लोहार, पांचाल–ब्राह्मण
19.	धीमार, मल्लाह, कश्यप–राजपूत, कहार, झीवर, धीवर, खेवट, मेहरा,निशाद, सक्का, भिस्ती, शेख–अब्बासी	41.	मदारी
20.	धौसाली, दोसाली	42.	मोची
21.	फकीर	43.	मिरासी
22.	गवारिया, गोरिया, गवार	44.	नार

45.	नुनगर	60	बादी / बादो
46.	नलबन्द	61	भट्टू / चट्टू
47.	पिंजा, पेंजा	62	मीना
48.	रेहार, रेहाडा या रे	63	रेहवारी
49.	रायगर	64	चारन
50.	रायसिक्ख	65	चारज (महा ब्राहमण)
51.	रेचबन्द	66	उदासीन
52.	शोर गिर, शेरगिर	67	रामगढ़िया
53.	सोई	68	रंगरेज, लीलगर, नीलगर, लल्लारी
54.	सिंगीकाट, सिंगीवाला	69.	डावला, सोनी–डावला, नियारिया
55.	सुनार, जरगर, सोनी	70	भर, राजभर
56.	ठठेरा, तमेरा	71	नट (मुस्लिम)
57.	तेली		
58.	बंजारा, वंजारा		
59.	वीवर (जुलाहा)		

ब्लाक "बी"

1. अहीर / यादव
2. गुज्जर
3. लोध / लोधा, लोधी
4. सैनी, शाक्या, कुशवाहा / कोईरी व मौर्या
5. मेव
6. गोसाई / गोसाईन / गोस्वामी

अनुबन्ध – "घ"

हरियाणा राज्य की जिलावार जनसंख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा उसका प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)

क्र० सं०	जिले का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	प्रतिशत
1.	अम्बाला	1128350	296246	26.25
2.	पंचकूला	561293	101830	18.14
3.	यमुनानगर	1214205	306743	25.26
4.	कुरुक्षेत्र	964655	215128	22.30
5.	कैथल	1074304	247513	23.04
6.	करनाल	1505324	339604	22.56
7.	पानीपत	1205437	206213	17.11
8.	सोनीपत	1450001	269935	18.62
9.	रोहतक	1061204	216889	20.44
10.	झज्जर	958405	170448	17.78
11.	फरीदाबाद	1809733	223799	12.37
12.	पलवल	1042708	203123	19.48
13.	गुड़गाँव	1514432	197937	13.07
14.	मेवात	1089263	75251	6.91
15.	रेवाड़ी	900332	182606	20.28
16.	महेन्द्रगढ	922088	156314	16.95
17.	भिवानी	1634445	341162	20.87
18.	जीन्द	1334152	282351	21.16
19.	हिसार	1743931	408785	23.44
20.	फतेहाबाद	942011	284357	30.19
21.	सिरसा	1295189	387381	29.91
	कुल	**25351462**	**5113615**	**20.17**

प्राप्ति स्थान : जनगणना कार्य,
हरियाणा

अनुबन्ध –'ङ'

"अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में वर्ष 2015–16 में चलाए गए कल्याण केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	खण्ड का नाम	कल्याण केन्द्रों का नाम
1	2	3	4
1.	अम्बाला	शहजादपुर	1. मंगलौर
2.	भिवानी	बवानीखेड़ा	2. सिवाड़ा
		दादरी	3. रावलधी
		भिवानी	4. बामला–।
		कैरू	5. लोहानी
3.	फतेहबाद	फतेहबाद	6. नागपुर
		रतिया	7.दादुपुर
		जाखल	8.म्योदबेगमाली
			9. बोस्ती
4.	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	10. मच्छगर
5.	गुड़गावं	गुड़गांव	11. सुखराली
		फरूखनगर	12. फाजिलपुर बादली
6.	हिसार	नारनौंद	13. भाटोल रांगडान
		बरवाला	14. खेदड़
		आदमपुर	15. चुली बागडीयान
		हांसी–।	16. चैनत
		उकलाना	17. दौलतपुर
		अग्रोहा	18. भाणा
		हिसार–।।	19. बीड
		हिसार–।	20. कैमरी
			21. किन्नर
7.	झज्जर	मातलहेल	22. कासनी
		बेरी	23. दुबलधन
		झज्जर	24. खेड़ी खुमार
		बहादुरगढ़	25. दुल्हैडा

1	2	3	4
8.	जीन्द	नरवाना	26. लोन
		उचाना	27. छातर
		जीन्द	28. अशरफगढ़
		जुलाना	29. जैजवन्ती
		सफीदों	30. पांजुकला
		पिल्लुखेड़ा	31. भुरायण
9	कैथल	पुण्डरी	32. फतेहपुर
		कैथल	33. सांधन
		राजौंद	34. मुण्डलान
		गुहला	35. अगौंध
10.	करनाल	करनाल	36. बड़ागांव
		असंध	37. चिड़ाव
		घरौंड़ा	38. मूनक
11.	कुरुक्षेत्र	थानेसर	39. ईशरगढ़
		पिहोवा	40. सियानासैयदा
		लाडवा	41. ढींग
12.	नूंह	पुन्हाना	42. नैवाना
		नूंह	43. आटा
		तावडू	44. मौहम्मदपुर अहीर
13.	नारनौल	अटेली	45. चन्दपुरा
		महेन्द्रगढ़	46. नावां
		कनीना	47. गुढ़ा
		नांगल चौधरी	48. सिरोही बहाली
14.	पानीपत	इसराना	49. हड़ताली
		बापौली	50. सनौली खुर्द
			51. हथवाला
15.	पंचकूला	रायपुररानी	52. गढ़ी कोटला
		बरवाला	53. भरेली
			54. बाड

1	2	3	4
16.	पलवल	पृथला	55. बघौला
17.	रिवाड़ी	रिवाड़ी नाहड़ रिवाड़ी	56. बीकानेर 57. नाहड 58. मुलानवाड़ा
18.	रोहतक	लाखनमाजरा महम कलानौर रोहतक सांपला	59. इन्द्रगढ़ 60. निदाना 61. आवल 62. डोभ 63. नएबास
19.	सिरसा	रानियां औढ़ा सिरसा	64. झोरडरोही 65. तिलोकेवाला 66. भावदीन
20.	सोनीपत	खरखोदा मुरथल कथूरा मुण्डलाना सोनीपत	67. फरमाणा 68. कमासपुर 69. गुढ़ा 70. हसनगढ़ 71. सांदलखुर्द
21.	यमुनानगर	मुस्तफाबाद बिलासपुर	72. सबलपुर माजरी 73. खदरी